उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 04.03.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.03.2025

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 05.03.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

महोबा पुलिस

थाना अजनर पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 06 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 03.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गयी उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी, उ0नि0 ऋषी शुक्ला व उ0नि0 आकाश मौर्य मय हमराह हे0का0 अरविन्द चौहान, का0 बृजेश कुमार व का0 भरत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र के ग्राम बघौरा के पास सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 06 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.उमाशंकर उर्फ रोहित अहिरवार पुत्र सुरेश अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष 2.रामकरन पुत्र अर्जुन अहिरवार उम्र करीब 20 वर्ष 3.सूरज पुत्र प्रमोद अहिरवार उम्र करीब 19 वर्ष 4.दीपक कुमार पुत्र रामाधीन अहिरवार उम्र करीब 21 वर्ष 5.वीरू पुत्र प्रताप अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष 6.अशोक अहिरवार पुत्र सीताराम उम्र करीब 21 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम बघौरा थाना अजनर जनपद महोबा को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से मालफड़ 2040 रुपये, जामातलाशी 960 रुपये व 52 अदद ताशपत्ते बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 43/2025 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी 2. उ0नि0 ऋषी शुक्ला 3. उ0नि0 आकाश मौर्य
4. हे0कां0 अरविन्द चौहान 5. कां0 बृजेश कुमार 6. कां0 भरत सिंह

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. उमाशंकर उर्फ रोहित अहिरवार पुत्र सुरेश अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष
2. रामकरन पुत्र अर्जुन अहिरवार उम्र करीब 20 वर्ष
3. सूरज पुत्र प्रमोद अहिरवार उम्र करीब 19 वर्ष
4. दीपक कुमार पुत्र रामाधीन अहिरवार उम्र करीब 21 वर्ष
5. वीरू पुत्र प्रताप अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष
6. अशोक अहिरवार पुत्र सीताराम उम्र करीब 21 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम बघौरा थाना अजनर जनपद महोबा।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

Zero Tolerance Against Narcotics Smuggling –

मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त को थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 26 किलो 447 ग्राम अवैध सूखा गांजा कीमत करीब 10 लाख ₹ बरामद किया है।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपद महोबा को अपराधमुक्त और सुरक्षित परिवेश प्रदान किये जाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध की जा रही ताबडतोड़ कार्यवाही के क्रम में जनपद महोबा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, बरामदगी एवं ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं उनके कब्जे से बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 04.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी महोबकंठ के नेतृत्व में गठित की गयी पुलिस टीम को थानाक्षेत्र अन्तर्गत टुडर पक्की सड़क चकमार्ग के पास बहद ग्राम टुडर के पास से अवैध गाँजा लिये 02 नफर अभियुक्तों की सूचना पुलिस टीम को प्राप्त हुई थी, इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल सक्रियता दिखाते हुए मौके पर पहुंची। इस दौरान मौक से 01 नफर अभियुक्त उमेश राजपूत पुत्र सन्तोष राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम पचारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से 03 अदद बोरी मे 19 पैकेट जिसमे कुल 26 किलो 447 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद किया गया है इस दौरान घटना स्थल से एक नफर अभियुक्त मनीष राजपूत पुत्र अज्ञात निवासी बड़खेरा बेलाताल थाना अजनर जनपद महोबा मौके से भागने में सफल हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ में मु0अ0सं0-38/2025 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया, तथा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय से टीम बनाकर दबिश दी जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. निरीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह 2. उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह 3. कां0 विजय निरंकारी

गिरफ्तार अभियुक्तः-

उमेश राजपूत पुत्र सन्तोष राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम पचारा थाना महोबकंठ

वांछित अभियुक्त- मनीष राजपूत पुत्र अज्ञात निवासी बड़खेरा बेलाताल थाना अजनर जनपद महोबा

अपराधिक इतिहास अभियुक्त उमेश राजपूत पुत्र संतोष राजपूत उम्र 21 वर्ष-

1. मु.अ.सं.56/20 धारा 60 एक्साइज एक्ट थाना महोबकंठ
2. मु.अ.सं.17/23 धारा 323, 325, 504, 506 आईपीसी थाना महोबकंठ जनपद महोबा
3. मु. अ. सं. 38/2025 धारा 8/28 NDPS Act थाना महोबकंठ

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 04.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने एक नफर् वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में कानून व्यवस्था बनाये रखने व प्रचलित त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक प्रवृत्ति के वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 04.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ द्वारा गठित की गई व0उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी मय हमराह कां0 अमित कुमार थाना महोबकंठ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना महोबकंठ में पंजीकृत मु0अ0सं0 235/2024 धारा 137(2)/64/96 बीनएस व 3/4 पास्को एक्ट से संबंधित 01 नफर् वाँछित अभियुक्त अमित बसोर पुत्र मंगल बसोर उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम ऐर थाना डकोर जनपद जालौन को मुखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र अन्तर्गत टिकरिया मोड़ मुख्य सड़क मार्ग से नियमानुसार गिरफ्तार किया है । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उपरोक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

अमित बसोर पुत्र मंगल बसोर उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम ऐर थाना डकोर जनपद जालौन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी
2. कां0 अमित कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही-

थाना अजनर की पुलिस टीम ने 40 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 03.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजनर थानाध्यक्ष श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गयी उ0नि0 आकाश मौर्य, उ0नि0 हरिशंकर यादव, कां0 भरत सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.रामेश्वर पुत्र मनसुखलाल बसोर उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम व थाना अजनर जनपद महोबा 2.रमेश पुत्र मुन्नालाल बसोर उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम व थाना अजनर जनपद महोबा को थानाक्षेत्र अन्तर्गत यात्री प्रतीक्षालय स्यावन मोड़ बहद ग्राम अजनर से नियमानुसार गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से क्रमशः 20-20 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्राण्ड बरामद की गयी है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अजनर में क्रमशः मु0अ0सं0 45/2025 व मु0अ0सं0 46/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आकाश मौर्य 2. उ0नि0 हरीशंकर यादव 3. का0 भरत सिंह

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. रामेश्वर पुत्र मनसुखलाल बसोर उम्र करीब 42 वर्ष
2. रमेश पुत्र मुन्नालाल बसोर उम्र करीब 40 वर्ष

निवासीगण ग्राम व थाना अजनर जनपद महोबा।

बरामदगी-

अभियुक्तों के कब्जे से क्रमशः 20-20 अदद क्वार्टर झूम देशी शराब नाजायज बरामद।

अपराध विवरण-

मु.अ.सं. 45/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अजनर जनपद महोबा।
मु.अ.सं. 46/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अजनर जनपद महोबा।

@MahobaPolice

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने
एक नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में कानून व्यवस्था बनाये रखने व प्रचलित त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक प्रवृत्ति के वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 04.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर, श्री अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा गठित की गई उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह व उ0नि0 निकिता शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना श्रीनगर में पंजीकृत किए गए मु0अ0स0 43/25 धारा 351(3)/87/74/75 बीएनएस से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त हारून सौदागर पुत्र अच्छन सौदागर नि0 मु0 मनोहरगंज कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के इंडियन बैंक के सामने कस्बा श्रीनगर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह
2. उ0नि0 निकिता शुक्ला

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

हारून सौदागर पुत्र अच्छन सौदागर नि0 मु0 मनोहरगंज कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा